2021

विश्व महिला दिवस के अवसर पर कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम कानून – 2013 पर ई–व्याख्यान

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य)
परिवेश भवन,पर्यावरण परिसर,
ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल

विश्व महिला दिवस के अवसर पर कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम कानून – 2013 पर आयोजित ई–व्याख्यान

प्रत्येक वर्ष 08 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की उपलब्धियों व जीवन के हर क्षेत्र में उनकी बढ़ती दृश्यता को स्वीकार करना है तथा भविष्य में भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना है। इस दिवस को विश्व स्तर पर आयोजित करने का एक उद्देश्य यह भी है कि लगभग जीवन के हर दौर में महिलाओं द्वारा निभाई गई असाधारण भूमिकाओं को उजागर किया जाये और उनके साहस और दृढ़ संकल्प को सराहा जाये।

इन्हीं उद्देश्यों को सार्थक करते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल में COVID -19 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुये आंतरिक महिला शिकायत समिति द्वारा दिनांक 09. 03.2021 को ई–व्याख्यान का आयोजन किया गया। ई–व्याख्यान का विषय – **कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम कानून – 2013** व महिलाओं में जागरूकता था। उक्त ई–व्याख्यान में श्रीमती प्रार्थना मिश्रा, निदेशक, संगिनी महिला कल्याण समिति, भोपाल को विचार व्यक्त करने हेतु ऑनलाइन आमंत्रित किया गया।

ई–व्याख्यान का शुभारंभ डॉ. रानू चौकसे वर्मा, वैज्ञाानिक 'ख' (महिला समिति अध्यक्ष) द्वारा श्रीमती प्रार्थना मिश्रा, निदेशक, संगिनी महिला कल्याण समिति, भोपाल को स्वागत कर किया गया एवं समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को कार्यालय में गठित आंतरिक महिला शिकायत समिति के बारे में अवगत कराया। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के उद्देश्य व इस अवसर पर कार्यालय में आयोजित ई–व्याख्यान के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया गया।

तत्पश्चात अध्यक्षा द्वारा श्री सुनील कुमार मीणा, वैज्ञानिक 'घ' को आरंभिक उद्बोधन के लिये आमंत्रित किया गया। श्री सुनील कुमार मीणा, वैज्ञानिक 'घ' द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला गया। साथ ही महिलाओं के विश्व स्तर पर सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक , वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में बढ़ रहे योगदान को सराहा। आपने अवगत कराया कि कार्यालय में सभी महिला कर्मियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है और ऐसी कोई भी परिस्थिति अभी तक निर्मित नहीं हुई है जहां महिला कर्मियों के मान–सम्मान को ठेस पंहुची हो। साथ ही भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी महिला कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव अथवा दुर्व्यवहार न हो सकें।

इसके पश्चात कार्यक्रम की अतिथि श्रीमती प्रार्थना मिश्रा, ने ई–व्याख्यान प्रस्तुत किया। आपने विस्तृत रूप से सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी समस्त उपलब्ध नियम व कानून को समझाया गया। साथ ही गैर संगठित क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओ के लिये दिये हुये प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला। इन कानूनों व नियमों का सही तरह से उपयोग हो पाये इसके लिये महिलाओं में इसके प्रति जागरूकता के महत्व को भी समझाया गया।

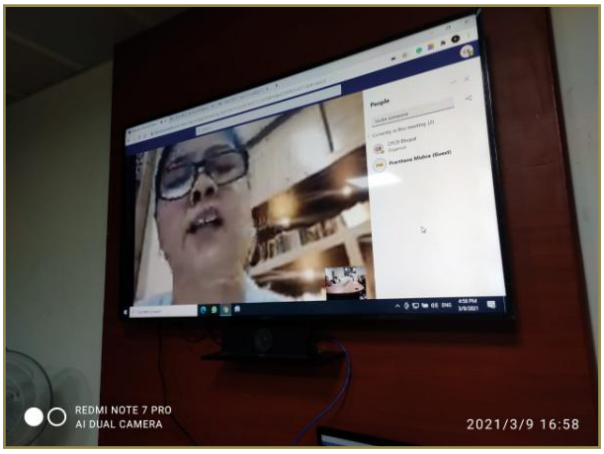

शासकीय कार्यालयों में महिलाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण भावना रखी जाती है अथवा उनके प्रति पुरूष कर्मियों द्वारा उचित व्यवहार नही किया जाता है इस संदर्भ में जागृति लाई जाये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के मौलिक अधिकारों का समुचित रूप से संरक्षण सुनिश्चित किया जाये। साथ ही शासकीय कार्यालयों में महिला समिति भी गठित करने के निर्देश हैं। क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल में महिला समिति का गठन किया जा चुका है। जिसकी नियमित बैठके सभाकक्ष में संपादित की जाती है और ऐसे समस्त विषय जो महिलाओं के अधिकारीं के संरक्षण सें संबंधित है अथवा कार्यस्थल पर उन्हें जो शासकीय सुविधायें उपलब्ध कराई

जानी चाहिये उन्हें मिल सकें। श्रीमती प्रार्थना मिश्रा द्वारा उन समस्त विषयों पर भी चर्चा की गई जो महिलाओं के अधिकारों के संबंध में शासकीय कार्यालयों में सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के हनन के अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत किये। उदाहरण के तौर पर कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ महिला कर्मचारियों को उंची आवाज में निर्देश देना अथवा ऐसे भाव से बात करना जिसमें उनके सम्मान को ठेस महसूस हो, वो भी भेदभाव की श्रेणी में आता है। क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा चर्चा के दौरान प्रश्नोत्तर के माध्यम से शंका समाधान किया गया एवं विचार व्यक्त किये गये एवं इस बात का आश्वासन दिया गया कि वह महिला सहकर्मियों के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जो उनकी मर्यादा का हनन करता हो अथवा उनके मान–सम्मान को ठेस पहुंचाता हो।

ई–व्याख्यान में उपस्थित सहभागियों ने भी अतिथि से अपने कई सवाल पूछे व विचार व्यक्त किये, जिनका अतिथि महोदया द्वारा भी स्वागत किया गया।

कार्यक्रम के अंत में क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल के महिला शिकायत निवारण समिति की सदस्य डॉ. पौलमी सी. पाटिल द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सभी सहभागियों को स्वल्पाहार के लिये आमंत्रित करते हुये ई–व्याख्यान का समापन हुआ।

(डॉ. रानू चौकसे वर्मा)
वैज्ञानिक 'ख' एवं महिला समिति अध्यक्ष